| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

11.02.15

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।
जमाबंदी सुधार वाद संख्या–448 / 12–13

मो० कलाम
बनाम
सरकार

आदेश

आवेदक मो० कलाम द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है कि निम्नांकित जमीन बेतिया राज के अन्तर्गत गैर मजरूआ मालिक की थी।

| मुहल्ला का नाम | खाता संख्या | खेसरा संख्या | रकबा |
|---|---|---|---|
| किला बेतिया | 240 | 5259 | 0–02–10 |

इस जमीन पर आवेदक ने अपने पिता का दखल कब्जा बताया है, और कहाँ है कि बेतिया राज ने दिनांक 15.05.1953 को उक्त जमीन आवेदक के पिता–मो० आलम को बन्दोवस्त कर दिया एवं वर्ष 1954 में बेतिया राज ने मो० आलम के नाम से जमाबन्दी संख्या –567 कायम कर दिया। जमीनदारी उन्नमूलन के पश्चात् वर्ष 1957–58 में अंचल अधिकारी ने मो० आलम के नाम पर जमाबन्दी संख्या–136 कायम कर दिया ।

आवेदक का कहना है कि मो० आलम की मृत्यु वर्ष 2007 में हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात् आवेदक ने उक्त जमीन पर अपना एवं अपने भाई का दखल कब्जा बतलाया है। इनका कहना है कि पूर्व में निर्गत लगान रसीद के आधार पर वे लगान रसीद निर्गत करने के लिए अंचल कार्यालय गये, लेकिन अंचल कार्यालय का संबंधित कागजात नष्ट हो जाने के कारण अंचल कार्यालय उनके नाम से लगान रसीद निर्गत करने हेतु इच्छुक नही है आवेदक का कहना है कि वर्ष 1953 से अब तक सभी बकाया लगान देने के लिए तैयार है।

अतः उनका आग्रह है कि अंचल कार्यालय बेतिया को आवेदक के नाम से जमाबन्दी कायम कर लगान रसीद निर्गत करने का आदेश दिया जाय।

आवेदक द्वारा बन्दोवस्ती पंजी संख्या–27 एवं लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल की है। अंचल अधिकारी बेतिया से अभिलेख एवं प्रतिवेदन की माँग की गई है, जो अभी तक अप्राप्त है।

आवेदक द्वारा दाखिल कि गई लगान रसीद में दो लगान रसीद पर जमाबन्दी संख्या–136 रकबा–02 कट्ठा 10 धुर अंकित है, जो वर्ष 1957–58 एवं 1958–59 है। इस पर जमाबन्दीदार का नाम स्पष्ट रूप सें पढनीय नहीं है एक लगान रसीद पर जमाबन्दी संख्या 567 अंकित है। जो 2 कट्ठ10 धुर है। यह लगान रसीद मो० आलम के नाम से जो दिनांक 23.01.1954 में निर्गत है।

आवेदक का कहना है कि उनके पिता के नाम से जमीनदारी उन्नमूल के पश्चात् वर्ष 1957–58 में जमाबन्दी संख्या–136 कायम की गई। उन्होने वर्ष 1957–58 एवं 1958–59 की दो लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल की गई है। आवेदक के कथनानुसार उनके पिता मृत्यु 2007 में हुई तो प्रश्न उठता है कि जब अंचल अधिकारी बेतिया द्वारा वर्ष 1957–58 में जमाबन्दी कायम की गई, तो फिर 1958–59 के बाद उनके द्वारा लगान रसीद प्राप्त क्यों नहीं किया गया ? अब आवेदक की वर्ष 1958–59 के बाद वर्ष 2012–13 में जमाबन्दी अपने नाम से कायम करने एवं लगान रसीद निर्गत करने के लिए आवेदन पत्र दिए है।

यह मामला जमाबन्दी सुधार से संबंधित नहीं है, बल्कि जमाबन्दी निर्माण करने एवं लगन रसीद निर्गत करने से संबंधित है। इसके लिए आवेदक को अंचल अधिकारी, बेतिया को आवेदन पत्र देना चाहिए। यह मामला इस न्यायालय में विचारणीय नहीं है।

अतः आवेदक के आवेदन पत्र को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी बेतिया को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

11.02.15

अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

11.02.15

अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।